गरीबों का अनुमान लगाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई वर्तमान क्रियाविधि दर्शाती है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 1983–84 में 37.4 प्रतिशत से घटकर 1987–88 में 29.9 प्रतिशत रह गई है। एक भिन्न क्रियाविधि का प्रयोग करते हुए गरीबों का अनुपात तथा संख्या का अनुमान लगाने संबंधी एक विशेषज्ञ दल ने गरीबी का वर्ष 1983 में 44.76 प्रतिशत से घटकर 1987–88 में 39.34 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है।

वर्ष 1987–88 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 196 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में 41.7 मिलियन थी। विशेषज्ञ दल के अनुमानों के अनसार उस वर्ष में गरीबों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 229.4 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में 83.4 मिलियन थी।

सुधारोत्तर अवधि अर्थात् वर्ष 1993–94 में किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय के नवीनतम पंचवार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं।

देश में बाल-श्रमिक

*99. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या बाल श्रमिक समस्या के निदान हेतु कोई कार्ययोजना भारत सरकार के समक्ष लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना मे बाल श्रमिकों की समस्या कब तक हल कर लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या के बारे में सूचना विवरण में संलग्न है **(नीचे देखिए)**। 1991 की जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 1987 के 43वें दौर के अनुसार, बाल श्रमिकों की संख्या 17.02 मिलियन होने का अनुमान है।

(ख) बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिये सरकार ने पहले ही अनेक कदम उठाये हैं। 1986 में एक व्यापक विधान अर्थात बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 1987 में बनाई गयी राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसार बाल श्रम समस्या का (क) विधान (ख) बाल श्रमिकों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। भारत, अं०श्र०सं० के अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम में भी एक प्रतिभागी है। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार के प्रयासों को अं०श्र०सं० के बाल श्रम कार्रवाई एवं सहायता नामक कार्यक्रम द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है।

सितम्बर, 1994 में, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिये राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया था:—

(i) विशेष रूप से जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिये नीतियों एवं कार्यक्रम निर्धारित करना।

(ii) बाल श्रम उन्मूलन के लिये कार्यक्रमों, परियोजना तथा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन करना।

(iii) भारत सरकार के विभिन्न सहयोगी मंत्रालयों की बाल श्रम से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को समन्वित करना ।

राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने प्रारम्भ से ही देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए "बाल श्रम की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास" नामक एक कार्य योजना स्वीकार की है । संक्षेप में इसमें बाल श्रम उन्मूलन, प्रयास को कारगर बनाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यान्वयन स्तर-जिला स्तर-पर सेवाओं और योजनाओं के अभिमुखीकरण की अपेक्षा की गई है। फिलहाल, सरकार जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम, जो लगभग 20 लाख हैं, को समाप्त करने के लिए एक प्रमुख कार्य योजना तैयार करने की कार्रवाई मे लगी हुई है । इस संबंध में योजना संचालित करने में सरकार को समर्थ बनाने के लिये योजना आयोग ने वर्ष 1995–96 के लिये 34.40 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है । ऐसा पहली बार हुआ है कि श्रम मंत्रालय को जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिये इतना अधिक परिव्यय प्रदान किया गया है ।

(ग) बाल श्रम का उन्मूलन एक जटिल समस्या है और फिलहाल यह अनुमान लगा पाना कठिन है कि इसे पूरी तरह से कब तक समाप्त किया जा सकता है । तथापि, इस दिशा में हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं । जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिये वर्ष 2000 तक का लक्ष्य रखा गया है ।

1981 की जनगणना के अनुसार (0—14) आयु वर्ग के बाल कर्मकारों के राज्य-वार फैलाव ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	0–14 आयु के कर्मकार 1981 जनगणना
1 2	3
1. आन्ध्र प्रदेश .	1,951,312
2. असम .	**
3. बिहार .	1,101,764
4. गुजरात .	616,913
5. हरियाणा .	194,189
6. हिमाचल प्रदेश	99,624
7. जम्मू और कश्मीर	258,437
8. कर्नाटक .	1,131,530
9. केरल .	92,854
10. मध्य प्रदेश .	1,698,597
11. महाराष्ट्र .	1,557,756
12. मणिपुर .	20,217
13. मेघालय .	44,916
14. नागालैण्ड .	16,235
15. उड़ीसा .	702,293
16. पंजाब .	216,939
17. राजस्थान .	819,605
18. सिक्किम .	8,561
19. तमिलनाडु .	975,055
20. त्रिपुरा .	24,204
21. उत्तर प्रदेश .	1,434,675
22. पश्चिम बंगाल	605,263
23. अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह .	1,309
24. अरुणाचल प्रदेश	17,950
25. चंडीगढ़	1,986

1	2	3
26.	दादरा और नागर हवेली .	3,615
27.	दिल्ली .	25,717
28.	गोआ और दमण दीव .	9,378
29.	लक्षद्वीप .	56
30	मिजोरम .	6,314
31.	पांडिचेरी .	3,606
	कुल :	13,640,872

**वर्ष 1981 की जनगणना असम में उस समय स्थिति ठीक न होने के कारण नही की जा सकी ।

Rising figure of Unemployment

*100. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to a recent report of the International Labour Organisation 22 per cent of all male workers in India were under employed or unemployed and that the figure is rising; and

(b) if so, what steps have been taken by Government to curb this trend and generate employment and what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) In the ILO Report titled 'World Employment 1995' (page 64), it is stated that in India 22 per cent of all male workers declared themselves available for additional work in the late 1980s, and this figure has been rising.

This report does not specifically point out the source of this information.

Specific steps taken by the Government to generate employment are the following:

(i) Making massive investments in rural employment programmes—IRDP, TRYSEM, JRY, Nehru Rozgar Yojana, Prime Minister's Rozgar Yojana, Employment Assurance Scheme. Eighth Plan Outlay for Rural Development is Rs. 35,997/- crores.

(ii) Modernization and expansion of Vocational Training infrastructure in the country by acquisition of modern equipment, introduction of employment relevant vocational training courses, revision of teaching-learning materials etc. so that the employability of the job seekers is improved.

(iii) Promotion of training and retraining of workers to impart new skills so that they could get redeployed when industries modernise by taking recourse to new technologies.

Supply of tainted Sugar through PDS

784. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that tainted sugar is being supplied through Public Distribution System outlets in the capital which poses health problem for unsuspecting consumers.

(b) if so, what are the details of the said quality of insect-infested sugar procured by Government together with the rate and quality so purchased and also the agency; and

(c) whether Government propose to take action against the officer concerned for purchasing the said sugar and if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) The Government of National Capital Territory of Delhi has reported that infested stocks of sugar have not been distributed to the consumers through the Fair Price Shops in the capital. It has, however, been reported by the Government of National Capital Territory of Delhi that in the case of about 20 Fair Price Shops, sugar